

न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झुनूं (राज०)
मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
31/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 26.06..2019 22.08.2019

उनवान सरकार बनाम मुलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2075 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सिंघाना की राजकीय भूमि ख० न० 306 कुल रकबा 0.19 है०
किस्म बारानी 2 भूमि मे से 0.03 है० भूमि पर अतिक्रमी मुलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति महाजन
निवासी सिंघाना में अवैध रूप से दुकान मकान व चबूतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से
अतिक्रमण किया गया है।


रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी
को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्त पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी
द्वारा राजकीय भूमि में दुकान मकान व चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण
किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से दुकान मकान व चबूतरा
बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिक्रमण शुदा भूमि
के ख० न० 306 लगान 0.15 की 50 गुणा जुर्माना राशि 8/- बतौर शास्ति कायम किये जाते
हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।


उप तहसीलदार सिंघाना

